



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

## हरिद्वार-249404

संख्या: 284 / 01 / डी0आर0(डिग्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 08 दिसम्बर, 2023

### अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञप्ति दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र (Political Science) विषय के कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका के कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

SNO	ROLLNO	अभ्युक्ति
1	2	3
1	507257	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2	507851	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत दावाकृत NCC-B का स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है। अतः अभ्यर्थी से NCC-B प्रमाण-पत्र की स्पष्ट प्रति अपेक्षित है।
3	508163	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा नेशनल सेमिनार प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4	508290	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5	508374	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6	508453	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर / संविदा प्रवक्ता / अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा हेमन्ती नन्दन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न है। विज्ञापन के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा / विजिटिंग प्रवक्ता को अधिमान अनुमन्य है, तदक्रम में बोनस अंक हेतु अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
7	507250	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर / संविदा प्रवक्ता / अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, परन्तु संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों से दावे की पुष्टि नहीं होती है, तदक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं होने के कारण विजिटिंग लैक्चरर / संविदा प्रवक्ता / अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित अधिमान का दावा मान्य नहीं है।



SNO	ROLLNO	अभ्युक्ति
1	2	3
16	508038	1- अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैण पौड़ी गढवाल द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र दिनांक 19.04.2022 का संलग्न है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 27.03.2021 तक कार्यरत रहा है। अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है, तदक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं होने के कारण विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
17	508042	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
18	508309	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
19	508340	1. अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत बोनस अंक हेतु अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-5 प्रमाण पत्र में अधिमानी अर्हता बोनस अंक से सम्बंधित अंशकालिक प्रवक्ता का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है। तदक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं होने के कारण विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
20	508387	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/ सेमिनार /पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। 2. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा राजकीय महाविद्यालय थत्यूड टिहरी गढवाल द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न है, जिसके अनुसार अभ्यर्थी दिनांक 12.02.2021 तक कार्यरत था तथा अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है। तदक्रम में अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं होने के कारण विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
21	508409	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा स्व0 चन्द्र सिंह शाही राजकीय स्ना0 महाविद्यालय कपकोट बागेश्वर द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न है। विज्ञापन के अनुसार राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत संविदा/विजिटिंग प्रवक्ता को अधिमान अनुमन्य है, तथा अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 01.02.2021 तक कार्यरत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है तथा अभ्यर्थी विज्ञापन की अन्तिम तिथि 24.12.2021 को राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत नहीं है। तदक्रम में अभ्यर्थी के विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता से संबंधित अधिमानी का दावा मान्य नहीं है।

SNO	ROLLNO	अभ्युक्ति
1	2	3
22	508664	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
23	508722	1. अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद / सेमिनार / पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी अधिमान के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को **दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 सांय 06:00 बजे (शुक्रवार)** तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों के इस विषय में प्राप्त किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।